gef

UN environment programme

भारत में नीम आधारित उत्पादों के लिए उत्पादकों (निर्माताओ), पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

भारत में नीम आधारित उत्पादों के लिए उत्पादकों (निर्माताओ), पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

DO NOT PRINT

टॉक्सिक्स लिंक, नई दिल्ली
द्वारा तैयार किया गया

Toxics Link
for a toxics-free world

अस्वीकरण

मार्गदर्शन दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों से एकत्रित की गई है। यह दस्तावेज़ 2021–2022 की अवधि के दौरान तैयार किया गया था। इस दस्तावेज़ का आशय, एक अनौपचारिक संदर्भ के रूप में उपयोग करने का है, और इस तरह, इन मार्गदर्शन दस्तावेजों में संदर्भित किसी भी नियम की आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित या विस्थापित नहीं करता है। उपरांत, जैसा कि "मार्गदर्शन," "के लिए," "चाहिए," और "कर सकते हैं" जैसी गैर-अनिवार्य भाषा के उपयोग से संकेत मिलता है, ये मार्गदर्शन दस्तावेज नीतियों की पहचान करते हैं और सुझाव प्रदान करते हैं और कोई नया कानूनी दायित्व या सीमाएं नहीं बनाते हैं, या किसी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, क्षेत्र या स्थानीय कानून के तहत दायित्वों को बढाता/ नहीं है।

DO NOT PRINT

विषय-सूची

विहंगावलोकन 2

अभिस्वीकृति 3

संक्षिप्त रूप 4

नीम आधारित उत्पादों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन 5

1. नीम आधारित उत्पादों के निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन 6

1.1 घरेलू कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले एजाडिरेक्टिन युक्त नीम आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए नियंत्रक (विनियमन)आवश्यकताएं 7

1.1.1 केंद्रिय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति में नीम आधारित उत्पादों का पंजीकरण 9

1.1.2 लेबलिंग और पैकेजिंग 11

1.1.3 कच्चे माल और नीम आधारित उत्पादों की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश 11

1.1.4 स्थापित प्रक्रियाओं का उपयोग करके परिवहन और भंडारण 11

1.2 अन्य नीम-आधारित उत्पादों की नियामक आवश्यकताएं, विशेष रूप से वे जो मच्छर निरोधक के रूप में त्वचा पर अनुप्रयुक्त (लगाई जाती) होती हैं 12

1.3 नीम आधारित उत्पादों के लिए अन्य प्रासंगिक अधिनियम 13

2. नीम आधारित उत्पादों के पंजीकरण/अनुज्ञापन धारकों के लिए मार्गदर्शन 14

2.1 नीम आधारित कीटनाशकों के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन 14

2.2 नीम आधारित दवाओं के अनुज्ञापन धारकों के लिए मार्गदर्शन 14

3. नीम आधारित उत्पादों के उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन 15

अनुलग्नक 16

संसाधन 20

आंकड़ों की सूची

रेखा-चित्र 1. भारत में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए पालन की जानेवाली नियामक प्रक्रियाएं 8

DO NOT PRINT

विहंगावलोकन

भारत सरकार ने, मई 2002 में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 13 जनवरी 2006 को इसकी पुष्टि की (मंजुर/प्रमाणित किया)। 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन लागू होने के बाद से, स्टॉकहोम कन्वेंशन में डाइ क्लोरो-डाईफेनाइल-ट्राई क्लोरोइथेन (एक रंग एवं गंधहीन पदार्थ जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है) (डीडीटी) को, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में से एक के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, भारत और कुछ अन्य देशों ने, रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण में डीडीटी के उपयोग के लिए छूट की मांग की है। भारत डीडीटी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और देश में इसका उत्पादन अभी भी जारी है। सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम, HIL (इंडिया), विश्वभर में डीडीटी के लिए एकमात्र पंजीकृत उत्पादक (निर्माता) है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (NIP) प्रस्तुत की। एनआईपी ने, अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक के रूप में, एनआईपी कार्यक्रम के पश्चात, डीडीटी के क्रमिक चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने एवं डीडीटी के विकल्पों के रुपमें, गैर-स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी-विहिन) के विकास और प्रचार के लिये एक रूपरेखा तैयार की है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) का राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) महामारी विज्ञान के प्रभाव और कीटनाशक प्रतिरोध के आधार पर मलेरिया रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण के लिए डीडीटी का उपयोग कर रहा है। हालाँकि, जैसा कि भारत, डीडीटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, भारत सरकार NVBDCP के माध्यम से निम्नलिखित हस्तक्षेपों सहित एकीकृत रोगाणुवाहक (वेक्टर) कीट प्रबंधन (IVPM) पर आधारित अपनी वैकल्पिक रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण रणनीति को आगे बढ़ा रही है: जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन या सभी विधायी उपायों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के संयोजन में।

भारत सरकार वर्तमान में डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की स्टॉकहोम कन्वेंशन में प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के साथ डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए "स्थायी कार्बनिक प्रदूषक रहित डीडीटी के विकल्पों का विकास और संवर्धन" के शीर्षक अंतर्गत, एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) 'जीईएफ परियोजना' लागू कर रही है। इस संदर्भ में, इन मार्गदर्शन दस्तावेजों को, उत्पादकों (निर्माताओं), पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए, डीडीटी विकल्पों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है और इस प्रकार, डीडीटी से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है। इस मार्गदर्शन दस्तावेज का उद्देश्य, जैव और वानस्पतिक कीटनाशकों और अन्य स्थानीय रूप से उपयुक्त, कम लागत वाले और टिकाऊ विकल्प जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली मच्छर दानी (LLIN), बीटी-आधारित उत्पाद (बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो मिट्टी में रहती है, यह प्रोटीन बनाता है जो खाने पर कुछ कीड़ों के लिए जहरीला होता है, लेकिन कुछ दूसरे कीड़ों के लिए नहीं) और नीम- आधारित उत्पाद की प्रशस्ति को आसान बनाना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके, आजीविका बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, डीडीटी पर निर्भरता को कम करने और अंतिम रूप से उन्मूलन करने के लिए पहला कदम है।

मार्गदर्शन दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी को, उपयुक्त प्रासंगिक अधिनियम, विनियमों, अन्य सरकारी स्रोतों और संबंधित हितधारकों से प्राप्त मूल्यवान इनपुट जैसे कि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC), आयुष मंत्रालय, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी; UNIDO और HIL (इंडिया) लिमिटेड, अजय बायो-टेक (इंडिया) लिमिटेड और वेस्टरगार्ड जैसे निर्माता से प्राप्त किया गया है।

DO NOT PRINT

अभिस्वीकृति

डीडीटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के संदर्भ में वेक्टर नियंत्रण हेतु वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ को तैयार करने का कार्य सौंपने के लिए टॉक्सिक्स लिंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। यह दस्तावेज़ वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका शीर्षक है "डीडीटी के विकल्प के रूप में गैर-पीओपी का विकास और प्रचार।"

हम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के प्रति इस परियोजना को क्रियान्वित करने में समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (NVBDCP) की वेक्टर कंट्रोल एक्सपर्ट डॉ. कल्पना बरुआ को उनके तकनीकी सहयोग और राज्यों में हमारे दौरे को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। मार्गदर्शन दस्तावेज़ पर केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB और RC), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों के सुझाव और टिप्पणियों के लिए भी हम आभारी हैं।

हम छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रारंभिक हितधारक परामर्श के दौरान छत्तीसगढ़ और पंजाब के राज्य वीबीडीसीपी अधिकारियों और बस्तर, छत्तीसगढ़ और मयूरभंज, ओडिशा के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

हम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, अजय बायोटेक और वेस्टरगार्ड से प्राप्त अहम सुझावों को भी स्वीकार करते हैं। हितधारक परामर्श बैठकों के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, UNIDO, CSIR-NEERI, नागपुर और राज्य वीबीडीसीपी के अधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अन्य वेक्टर नियंत्रण विशेषज्ञों के सुझावों के लिए भी हम आभारी हैं। हम डॉ. प्रदीप के. श्रीवास्तव (पूर्व संयुक्त निदेशक, NVBDCP) द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी ज्ञान और समर्थन के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनसे दस्तावेजों को आकार देने और अंतिम रूप देने में मदद मिली।

हम टॉक्सिक्स लिंक में सहयोगियों को भी आभार प्रगट करते हैं जिन्होंने इन दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की।

DO NOT PRINT

संक्षिप्त रूप

ASU	आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी
BIS	भारतीय मानक ब्यूरो
CDSCO	केंद्रीय औषध मानक(मानदंड) नियंत्रण संगठन
CIB&RC	केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड) और पंजीकरण समिति
DDT	डाइक्लोरोडिफेनिलट्रिक्लोरोइथेन
DPIIT	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
FAO	खाद्य और कृषि संगठन
IS	भारतीय मानक(मानदंड)
IEC	सूचना, शिक्षा और संचार
MOHFW	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
NVBDCP	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
PPQS	पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय
WHO	विश्व स्वास्थ्य संगठन

DO NOT PRINT

नीम आधारित उत्पादों के उत्पादकों (निर्माताओं), पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

भारत में, नीम आधारित उत्पादों का उपयोग, केवल खुदरा बाजार के माध्यम से मच्छर भगाने वाले के रूप में किया जा रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसी भी नीम उत्पाद को उपयोग के लिए मंजूरी नहीं दी जा रही है। उत्पाद की संरचना के आधार पर, वेक्टर नियंत्रण के लिए बने नीम आधारित उत्पादों को, **कीटनाशी अधिनियम, 1968** या **औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940** के तहत विनियमित (नियंत्रित) किया जाता है।

मच्छर भगाने वाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले नीम-आधारित उत्पादों (नीम के अर्क युक्त) को, आयुर्वेद की दवा/औषधी माना जाता है और इन्हें **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और समय-समय पर संशोधित **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945** (अब **औषधि नियम, 1945** के रूप में जाना जाता है) के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। क्रीम के अलावा, अन्य जड़ी-बूटियों या तेलों जैसे कि, तरल वाष्पीकरणकर्ता (वेपोराइज़र), रूम स्प्रे (छिड़काव), मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अगरबत्ती के साथ नीम के अर्क वाले उत्पादों को **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** के अंतर्गत विनियमित किया जाता है और आयुर्वेदिक औषधीय उत्पादों के रूप में लाइसेंस दिया जाता है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है

अध्याय IV दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण (गुणवत्ता के मानक, कुछ दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध, आदि) पर विवरण प्रदान करता है।

अध्याय IVA आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित (स्थापित) करता है।

नीम आधारित उत्पादों के निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण, **औषधि नियम, 1945** के कुछ आवश्यक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं की बिक्री के लिए निर्माण पर **भाग XVI**

आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी दवाओं में अल्कोहल की लेबलिंग, पैकिंग और परिसीमा पर **भाग XVII**

आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के मानकों पर **भाग XIX**

हालांकि, रोगवाहक नियंत्रण के लिए घरेलू कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले नीम-आधारित उत्पादों में, प्राथमिक घटक के रूप में "एजाडिरेक्टिन" होता है (यहां नीम-आधारित कीटनाशकों के रूप में संदर्भित), जो **कीटनाशी अधिनियम, 1968** और **कीटनाशी नियम, 1971** द्वारा विनियमित होते हैं। निर्माताओं और नीम आधारित कीटनाशकों के पंजीकरण धारकों को उत्पादन और पंजीकरण के विभिन्न चरणों के दौरान उपरोक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। इस मार्गदर्शन दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में अधिनियम और नियमों के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

DO NOT PRINT

कीटनाशी अधिनियम, 1968 का उद्देश्य कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग और इससे जुड़े मामलों के लिए विनियमित करना है ताकि जानवरों पर मनुष्यों के लिए जोखिम को रोका जा सके।

अधिनियम की धारा 9 में, रोगवाहक नियंत्रण के लिए नीम आधारित उत्पादों सहित सभी कीटनाशकों के पंजीकरण पर विस्तृत प्रावधान हैं।

अधिनियम की धारा 10 में, निर्माताओं के लिए कीटनाशकों के पंजीकरण नहीं करवाने या कीटनाशक पंजीकरण को रद्द करने के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है।

धारा 13, कीटनाशकों के निर्माण और बिक्री के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के बारे में विवरण प्रदान करती है

धारा 14, धारा 13 के तहत जारी किए गए विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निरसन, निलंबन और संशोधन पर प्रावधान करती है

धारा 17 कुछ कीटनाशकों के आयात और निर्माण का निषेध

उत्पादकों (निर्माताओं) और पंजीकरण धारकों के लिए **कीटनाशी नियम, 1971** के प्रासंगिक प्रावधान हैं;

कीटनाशकों के पंजीकरण पर अध्याय III (पंजीकरण समिति के निर्णय के खिलाफ पंजीकरण और अपील का तरीका)

कीटनाशकों के निर्माण, कीटनाशकों की बिक्री, अनुज्ञप्ति(लाइसेंस) की शर्तों आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने पर **अध्याय IV**।

कीटनाशकों की पैकेजिंग और लेबलिंग पर **अध्याय V**

अध्याय VII रेल, सड़क या पानी द्वारा पारगमन में कीटनाशकों के परिवहन और भंडारण पर

अध्याय IX में विविध प्रावधान हैं, आवेदन के लिए सामान्य प्रपत्र और कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र, कीटनाशी **अधिनियम, 1968** की धारा के अंतर्गत अपील, कीटनाशकों के निर्माण की अनुज्ञप्ति की मंजुरी के लिए आवेदन, बेचने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन, या कीटनाशकों की बिक्री या वितरण के लिए प्रदर्शन, आदि।

1. नीम आधारित उत्पादों (आयातकों और निर्यातकों सहित) के निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन

पौधा-आधारित कीटनाशक तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनमें अधिक संख्या में ऐसे कई घटक होते हैं, जो मच्छरों में कृत्रिम रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिरोध की संभावना को कम करते हैं। नीम (*Azadirachta indica*) (नीम का वानस्पतिक नाम)अत्यधिक शक्तिशाली जैव-कीटनाशकों में से, एक के रूप में उभरा है और इसके व्युत्पन्न(इससे उत्पन्न) उत्पादों ने, मलेरिया सहित कीट प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक गुण दिखाए हैं। इसके अलावा, नीम आधारित उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं और मलेरिया नियंत्रण के लिए डीडीटी के संभावित विकल्प के रूप में कार्य करते हैं।

वर्तमान में, मच्छर नियंत्रण के लिए नीम आधारित उत्पादों को उत्पाद की संरचना के आधार पर अथवा कीटनाशकों या दवाओं के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

DO NOT PRINT

कीटनाशक के रूप में नीम आधारित उत्पाद

भारत में, घरेलू कीटनाशकों के रूप में उपयोग के लिए, प्राथमिक घटक के रूप में एजाडिरेक्टिन (नीम में एक सक्रिय घटक) युक्त नीम-आधारित उत्पादों को, केवल केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के पास पंजीकृत किया जाना है और ऐसे नीम-आधारित कीटनाशकों के निर्माताओं को, इसके विनिर्माण अनुज्ञप्ति के लिए, राज्य कीटनाशक अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) अधिकारियों को आवेदन करना होगा। इसके अलावा, निर्माताओं (उत्पादकों) को उत्पादन सुविधा के चालू होने से पहले और बाद में, नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। निर्माता, एक साथ नीम आधारित उत्पादों के पंजीकरण और नई उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयातकों और निर्यातकों को, विशेष रूप से निर्यात और आयात उद्देश्यों के लिए, विनियमों का पालन करना आवश्यक है।

निर्माता, भारत में नीम आधारित कीटनाशकों के स्वदेशी उत्पादन और उपयोग के लिए अथवा अन्य देशों में उत्पादन और निर्यात के लिए अथवा दोनों के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित कर सकते हैं। निर्यात उद्देश्यों सहित भारत में नीम आधारित कीटनाशकों के आयातकों और निर्मातओं को, अपने उत्पादों को, भारत सरकार **कीटनाशी अधिनियम, 1968** और **कीटनाशी नियम, 1971** के अंतर्गत, पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के पास पंजीकृत करवाना आवश्यक है।

नीम आधारित उत्पाद आयुर्वेदिक औषधि के रूप में

भारत में, **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और **औषधि नियम, 1945**[1] की **धारा 3 (ए) या 3 (एच) (i)** के तहत, नीम के पौधे के किसी भी भाग (भागों) को एक आरोग्यजनक/पौष्टीक घटक के रूप में शामिल करने वाले किसी भी फॉर्मूलेशन को आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है, एवं दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के तहत विनियमित होता हैं। हालांकि, नीम (अंश) से पृथक पादप रासायणिक (फाइटोकेमिकल्स) युक्त सूत्रीकरण (फार्मूलेशन) के उतपादन के लिए, **औषधि नियम, 1945 के नियम 2 (ईबी)** के तहत परिभाषित, पादप औषधि (फाइटोफार्मास्युटिकल्स) के प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से अनुज्ञापन(लाइसेंस) लेना आवश्यक है।

1.1 नीम आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए नियंत्रक (विनियमन) आवश्यकताएं

- नीम आधारित कीटनाशकों के उत्पादन (या निर्माण इकाई) की स्थापना के लिए उत्पादकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना तथा केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर, नियामक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।
- उत्पादकों को पता होना चाहिए, कि भारत में व्यापर-व्यवसाय स्थापित करने में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं; निर्माण इकाई को उसके नाम के साथ पंजीकृत करना और प्रवर्तन में लाने के पूर्व चरण (एक निर्माण इकाई की स्थापना के लिए अनुमोदन), और प्रवर्तन में लाने के पश्चात के चरण (पूर्व-उत्पादन चरण में अनुमोदन) पर नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रवर्तन में लाने के पूर्व और प्रवर्तन में लाने के पश्चात चरणों में शामिल नियामक आवश्यकताओं को योजनाबद्ध रूप से नीचे दिखाया गया है।

DO NOT PRINT

1 The Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules, 1945 (https://cdsco.gov.in/opencms/export/sites/CDSCO_WEB/Pdf-documents/acts_rules/2016DrugsandCosmeticsAct1940Rules1945.pdf)

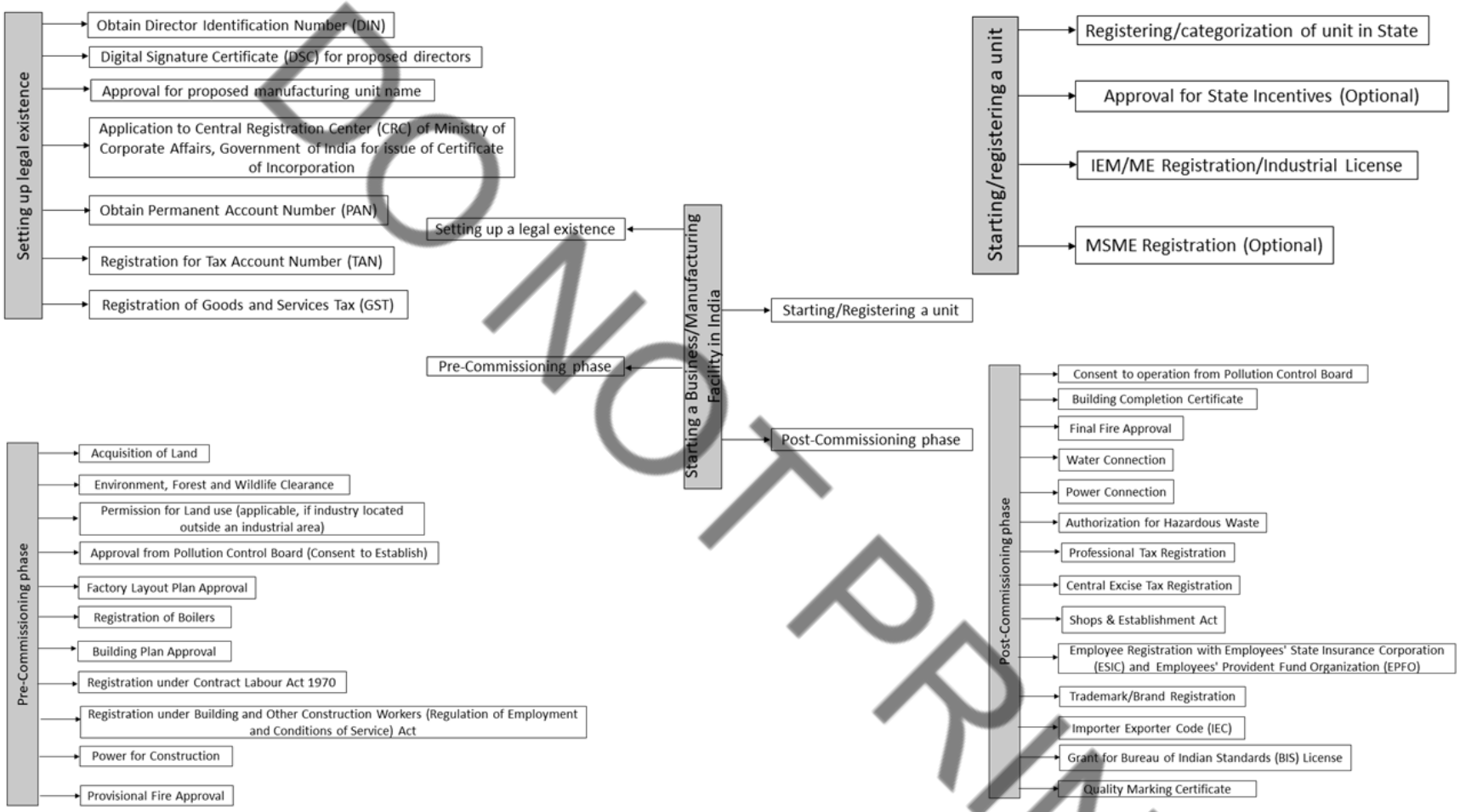

DO NOT PRINT

रेखा-चित्र 1. भारत में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए पालन की जानेवाली नियामक प्रक्रियाएं

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा संस्था(इन्वेस्ट इंडिया) की वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, उपरोक्त चित्रात्मक रूप टॉक्सिक्स लिंक द्वारा तैयार किया गया है।]

- उत्पादक(निर्माता), नई परियोजना की स्थापना के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) से विभिन्न अनुमोदनों और मंजूरी की सूची प्राप्त कर सकते हैं। यह सूची **अनुबंध-I** में भी दी गई है।
- इसके अलावा, भारत में उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए, नियामक प्रक्रियाओं में समाविष्ट कदमों का विवरण इन्वेस्ट इंडिया और डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी उल्लेखनिय है कि, एक नई उत्पादन इकाई स्थापित करने हेतु आवश्यक मंजूरी के लिए तथा घरेलू कीटनाशकों के रूप में उपयोग के लिए नीम आधारित उत्पादों के पंजीकरण के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता है।
- सभी उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों को अपने नीम आधारित उत्पादों (वानस्पतिक कीटनाशकों) को, **कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9** के तहत विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, पौधा संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC), के साथ पंजीकृत करना होगा।
- एक बार जब नीम आधारित उत्पादों को CIB&RC द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत कर दिया जाता है, तो उत्पादकों को संबंधित राज्य सरकारों (यानी, विनिर्माण अनुज्ञापन) से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है, जहां नीम आधारित उत्पादों की उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। नियामक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी, संबंधित राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकरण के कार्यालय से, भौतिक रूप से अथवा उनकी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। निर्माता, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञापन जारी करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वनस्पति कीटनाशकों के निर्माताओं द्वारा स्थापित कि जाने वाली न्यूनतम संरचना सुविधाओं के लिए दिशानिर्देशों का हवाला ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र राज्य में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए, निर्माता, महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा सेल की वेबसाइट पर जा कर, महाराष्ट्र राज्य में नियामक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदीं निर्माता, वहीं नीम आधारित कीटनाशकों के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करना चाहते है तो, PPQS वेबसाइट पर दिशानिर्देशों का हवाला भी ले सकते हैं।
- विनिर्माण अनुज्ञापन (लाइसेंस) जारी होने के बाद, नीम आधारित उत्पादों सहित कीटनाशकों को बेचने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए अनुज्ञापन (लाइसेंस) प्राप्त करना आवश्यक है, और इसके लिए भी अनुज्ञप्ति अधिकारी को आवेदन करना होगा।
- यदि उत्पाद को एक से अधिक स्थानों पर बेचने या बिक्री के लिए भंडारण करने का प्रस्ताव है, तो अलग-अलग आवेदन किए जाएंगे, और ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में अलग-अलग जारी किए जाएंगे।
- देश में बिक्री के उद्देश्य से आयात करने वाले, नीम कीटनाशकों के सभी आयातकों को, CIB&RC से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इसी तरह, स्वदेशी रूप से निर्मित, नीम कीटनाशकों के निर्यातकों को भी, **कीटनाशी अधिनियम, 1968** के प्रावधानों के अनुसार CIB&RC से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

1.1.1 केंद्रिय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति में नीम आधारित उत्पादों का पंजीकरण

पीपीक्यूएस की केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कीटनाशकों से संबंधित तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को पंजीकरण और सलाह के लिए जिम्मेदार है। **कीटनाशी अधिनियम, 1968** के तहत कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सामान्य दिशानिर्देश पीपीक्यूएस वेबसाइट पर दिए गए हैं। CIB&RC का संपर्क पता **अनुबंध-II** में दिया गया है।

- घरेलू उपयोग के लिए नीम-आधारित सभी उत्पादों को, इससे पहले कि वे भारत में बिक्री और वितरण के लिए आयात/निर्मित किए जाए या केवल निर्यात के लिए उत्पादित किए जाए, निर्माताओं द्वारा, **कीटनाशी अधिनियम, 1968** के तहत CIB&RC के पास पंजीकृत करवाया जाना चाहिए।

DO NOT PRINT

- **कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9** में उल्लिखित कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए, उत्पादकों को विभिन्न प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है।

- यदि भारत में पहली बार नीम आधारित कीटनाशक को प्रस्तावित किया गया हो, तो पंजीकरण समिति, किसी भी जांच के लंबित होने पर, **धारा 9(3बी)** के तहत दो साल की अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकती है। अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद, उत्पादकों को, CIB&RC के पास **कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3)** के अंतर्गत स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। किसी भी कीटनाशक पंजीकरण के लिए क आवेदन पत्र प्रारुप पीपीक्यूएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा, **धारा 9(3)** के तहत नियमित पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो उत्पादकों को **धारा 9(3बी)** के तहत अस्थायी पंजीकरण भी दिया जा सकता है। आवश्यक डेटा उत्पन्न करने के लिए दो साल के लिए अस्थायी पंजीकरण दिया जाता है और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि किसी भी निर्माता के आवेदन पर भारत में घरेलू कीटनाशक के रूप में उपयोग के लिए नीम-आधारित उत्पाद जिसमें नीम की पत्तियों में एजाडिरेक्टिन नाम का एक प्राकृतिक पदार्थ पाया जाता है जो ज़हरीला नहीं होता। यह पदार्थ इतना असरदार होता है कि यह रोगाणुओं से ग्रस्त कीड़ों को रोग-मुक्त करने के साथ-साथ स्वस्थ कीड़ों में रोग नहीं होने देता है। तथा पहले से ही पंजीकृत है, अन्य उत्पादक जो उस कीटनाशक का निर्माण या आयात करना चाहते हैं, उन्हें **कीटनाशी अधिनियम, 1968** की **धारा 9(4)** के तहत आवेदन करना होगा। इसे "मी-टू" पंजीकरण के रूप में भी जाना जाता है।

- घरेलू कीटनाशक के रूप में उपयोग के लिए नीम आधारित उत्पादों के पंजीकरण पर नवीनतम विवरण, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति की वेबसाइट पर दिया गया है। निर्माता PPQS वेबसाइट पर **धारा 9(4)** के अंतर्गत सभी कीटनाशकों के पंजीकरण पर नवीनतम दिशानिर्देशों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

- घरेलू उपयोग के लिए नीम आधारित उत्पादों का पंजीकरण करते समय विचार किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे दिये गए हैं:
  - नीम के निष्कर्षण के दौरान सक्रिय तत्व, केवल एजाडिरेक्टिन और अन्य घटक होने चाहिए
  - विभिन्न प्रकार की सतहों पर कीटनाशकों की अवशिष्ट विषाक्तता सातत्य पर डेटा उत्पन्न किया जाना चाहिए
  - वास्तविक उपयोग में घरेलू कीटनाशक (जो वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, जैसे, मैट और कॉइल) द्वारा उपयोगकर्ताओं और/या स्प्रे प्रचालक (ऑपरेटरों) का स्वास्थ्य निगरानी अध्ययन होना चाहिये।

- नीम आधारित उत्पादों के पंजीकरण पर आगे के मार्गदर्शन के लिए उत्पादकों/आयातकों को, **कीटनाशी नियम, 1971** के अध्याय III के तहत नियमों का संदर्भ लेना आवश्यक है।

- किसी भी कीटनाशक पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के पश्चात, यह आवेदन और डेटा पूर्णता के लिए, प्रारंभिक जांच से गुजरता है। उत्पादकों को अपने पंजीकरण आवेदन को यथास्थिति सुदृढ़ करने के लिए, **धारा 9(3)** और **9(4)** के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पीपीक्यूएस वेबसाइट पर प्रदर्शित चेकलिस्ट का संदर्भ लेना चाहिए।

- आम तौर पर, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति को आवेदन जमा करने के पश्चात, पंजीकरण प्रक्रिया (डेटा की कमी के आधार पर, यदि कोई हो) में 12 से 18 महीने लगते हैं । **कीटनाशी क अधिनियम, 1968 की धारा 9(3)** के अनुसार कीटनाशकों के पंजीकरण की समय-सीमा के बारे में विवरण, अनुलग्नक-III में संलग्न हैं।

- एक बार जब उत्पादकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, तो निर्माता पंजीकरण धारक बन जाता है और उसे उन सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है, जिसके लिए उत्पाद पंजीकरण प्रदान किया गया था। केंद्रीय

DO NOT PRINT

कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण, संरचना, निधानी आयु अवधि, लेबल, खुराक, उपयोग, सुरक्षा सावधानियों आदि की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

1.1.2 लेबलिंग और पैकेजिंग

उत्पादकों को अपने उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए **कीटनाशी अधिनियम, 1971** के **अध्याय V** का संदर्भ लेना चाहिए। लेबलिंग और पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और निर्माता के द्वारा CIB&RC द्वारा अनुमोदित और उत्पाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ संलग्न लेबल और पत्रक का पालन करना आवश्यक है। लेबल और लीफलेट को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग भाषाओं में मुद्रित करना आवश्यक है और इसे बेचने या वितरित करने से पहले अंतिम उत्पादों वाले पैकेज से चिपकाया या संलग्न किया जाना चाहिए।

उत्पादकों को **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**[2] के तहत जारी **कीटनाशक (मूल्य, भंडार प्रदर्शन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना) आदेश, 1986**[3] का पालन करना आवश्यकता है, जो कीटनाशकों के भंडारण और मूल्य सूची के प्रदर्शन, निर्माताओं और विक्रेताओं को खरीदारों को ज्ञापन देना, कुछ आवश्यकताओं के साथ निर्माताओं द्वारा अनुपालन; पैकिंग; अभिलेखों का रखरखाव और विवरणियां (रिटर्न) जमा करना, आदि को नियंत्रित करता है।

जो निर्माता अंतरराष्ट्रीय बोली में भाग लेने और नीम आधारित उत्पादों का निर्यात करने में रुचि रखते हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है, और वे डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के प्रकाशन पृष्ठ पर अच्छी लेबलिंग और पैकेजिंग प्रथाओं के लिए, डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों का संदर्भ ले सकते हैं।

विशिष्ट संसाधन:
कीटनाशकों के लिए अच्छे लेबलिंग अभ्यास पर दिशानिर्देश। कीटनाशक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता

1.1.3 नीम आधारित कीटनाशकों की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश

निर्माताओं को नीम आधारित उत्पादों के उत्पादन के दौरान, उत्पादों और उनके घटकों की वही गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए जो उनके उत्पादों के पंजीकरण के लिए CIB&RC को प्रस्तुत की गई थी। CIB&RC द्वारा जारी संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, निर्माताओं को सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

1.1.4 स्थापित प्रक्रियाओं का उपयोग करके परिवहन और भंडारण

उत्पादकों को **कीटनाशी नियम, 1971**[4] के अनुसार कीटनाशकों के भंडारण और परिवहन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। चूंकि कीटनाशकों को आम तौर पर रेलवे द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए कीटनाशकों वाले संकुल (पैकेजों) को, रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रेड टैरिफ (जिसमें विस्फोटकों, खतरनाक माल को रेलवे द्वारा ढोने के नियम एवं दरों का उल्लेख किया गया है) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पैक करना आवश्यक है।

DO NOT PRINT

2 Insecticides (Price, Stock Display and Submission of Reports) Order, 1986 (https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_23_31_00001_196846_1517807318487&type=notification&filename=28_january_1986_g.s.r._71(e).pdf)
3 Essential Commodities Act, 1955 (https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1955-10.pdf)
4 Insecticide Rules, 1971 (http://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf)

सभी कीटनाशकों को इस तरह से ले जाया या संग्रहीत किया जाना चाहिए कि यह खाद्य पदार्थों या पशु आहार के सीधे संपर्क में न आए। कीटनाशकों वाले पैकेज को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान से दूर अलग कमरे या परिसर में संग्रहित किया जाना चाहिए। विवरण के लिए, उत्पादक **कीटनाशी नियम, 1971** के **अध्याय VII** का संदर्भ ले सकते हैं।

1.2 नीम आधारित उत्पादों की औषधी के रूप में नियामक आवश्यकताएँ

भारत में, **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और **औषधि नियम, 1945 की धारा 3 (ए) या 3 (एच) (i)** के तहत, नीम के पौधे के किसी भी हिस्से को एक पौष्टिक घटक के रूप में शामिल करने वाले किसी भी सुत्रीकरण को आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में माना जाता है, एवं समय-समय पर संशोधित किए गए **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और **औषधि नियम, 1945** के तहत विनियमित होता हैं। नीम आधारित मच्छर भगाने वाली क्रीम, तरल वाष्पित्र (लिक्विड वेपोराइजर), रूम स्प्रे, अगरबत्ती के निर्माताओं को अपने इन उत्पादों को, **औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940** के तहत आयुर्वेद दवा/औषधिओं के रूप में पंजीकृत करवाना आवश्यक है।

- जो उत्पादक, मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं के उत्पादन के लिए नीम आधारित आयुर्वेदिक सुत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) विकसित करने का इरादा रखते हैं, वे सुरक्षा के उद्देश्य के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषाक्तता अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और संपुर्ण औषधी विकास के लिए प्रदान किए गए सामान्य दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।
- नीम आधारित आयुर्वेदिक दवाओं के सभी उत्पादकों को, संबंधित राज्यों में आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन, बिक्री या वितरण के लिए संबंधित राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण को अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए आवेदन को ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाता है।
- उत्पादक, नीम आधारित उत्पादों के गुणवत्ता मानकों पर संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं।
    - भारतीय आयुर्वेदिक औषधकोश (API), आयुष मंत्रालय केभारतीय चिकित्सा और होमयोपैथी के लिए औषधकोश (फार्माकोपिया) आयोग द्वारा प्रकाशित
      नीम का पत्ता: एपीआई प्रभाग 1-खंड (2)
      नीम के तने की छाल: एपीआई प्रभाग 1-खंड (2)
      नीम की जड़ की छाल: एपीआई प्रभाग 1-खंड (5)
      नीम का फूल: एपीआई प्रभाग 1-खंड (5)
      नीम फल: एपीआई प्रभाग 1-खंड (5)
    - भारतीय औषधीय पौधों के गुणवत्ता मानक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)[5] द्वारा प्रकाशित
    - हर्बल मोनोग्राफ, भारतीय औषधकोश आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)

  निर्यात उद्देश्यों के मामले में, उत्पादकों को डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रदान की गई मानव त्वचा के लिए मच्छर भगाने वाली दवाओं के प्रभावकारिता परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों के बारे में भी पता होना चाहिए।
- मच्छर नियंत्रण के लिए, नई नीम आधारित "परिभाषित पादप औषधि (फाइटोफार्मास्युटिकल्स)" के उत्पादकों और आयातकों को **औषध नियम, 1945** के नियम 2(EB) में परिभाषित, पादप औषधि (फाइटोफार्मास्युटिकल्स) के प्रावधानों के अनुसार, सीडीएससीओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, एमओएचएफडब्ल्यू, भारत सरकार से अनुमोदन लेना आवश्यक है।

5 Quality Standards of Indian Medicinal Plants-Volume XI (https://mpd.icmr.org.in/qs11.php)

DO NOT PRINT

1.3 नीम आधारित उत्पादों के लिए अन्य प्रासंगिक नियम

- निर्माताओं/उत्पादको को नीम आधारित उत्पादों के कच्चे माल को विनियमित करने के लिए, राज्य विशिष्ट विनियमों, यदि कोई हों तो उनका पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, **उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) में ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम, 1976**[6] के तहत, नीम के पेड़ों के संरक्षण के लिए, जंगलों और उपवन-भूमि से नीम के पेड़ों को काटने पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, एवं अन्य वृक्षो के साथ-साथ नीम के पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तमिलनाडु में, गोदाम अधिनियम, 1951[7], नीम के बीज, नीम के तेल की खली और नीम के तेल के भंडारण के लिए गोदामों के अनुज्ञापन(लाइसेंस) को नियंत्रित करता है। इसी तरह, नीम के बीज (तिलहन की श्रेणी के तहत) को कृषि उत्पाद के रूप में, **तमिलनाडु कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1987**[8] नियंत्रित करता है।
- **विनाशकारी कीट और परोपजीवी अधिनियम 1994**[9] के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए **पादप संगरोध (प्लांट क्वारंटाइन) (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003**[10] के तहत, नीम के सूखे बीज और नीम की खली के आयातकों को भी, निर्यातक देश द्वारा जारी एक पादपस्वच्छता (फाइटोसैनिटरी) प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- निर्यातकों को यह जानना जरुरी है कि, नीम के बीज एक प्रतिबंधित श्रेणी[11] है और अनुज्ञापन (लाइसेंस) के तहत निर्यात की **अनुमति है और इसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992**[12] के तहत नियंत्रित किया जाता है।

निर्माता को नीम आधारित उत्पादों पर, भारतीय मानक संस्था (BIS) द्वारा जारी विभिन्न मानकों का संदर्भ लेना आवश्यक है।

आईएस 4765:1975- नीम की गिरी के तेल और गूदे से बने नीम के बीज के तेल के लिए विशिष्टता
आईएस 7787:1975-नीम गिरी के लिए श्रेणीकरण(ग्रेडिंग) और तेल पिसाई के लिए गूदेवाले नीम के बीज
आईएस 14299: 1995-नीम के अर्क(एक्सट्रेक्ट कॉन्संट्रेट)में एजाडिरेक्टिन होता है
आईएस 14300: 1995-नीम आधारित ईसी जिसमें एजाडिरेक्टिन होता है।

निर्माता/उतपादक बीआईएस वेबसाइट पर विस्तृत आईएस विशेष विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

बीआईएस का पता एवं संपर्क विवरण **अनुबंध-IV** में है।

DO NOT PRINT

6 **Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976** (https://forest.uk.gov.in/uploads/general_rules/1616585726.pdf)
7 **Tamil Nadu Warehouses Act, 1951** (https://lawsofindia.blinkvisa.com/pdf/tamil_nadu/1951/1951TN15.pdf)
8 **Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1987** (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13245/1/act-27-1987_final_marketing.pdf)
9 **Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003** (https://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/pqorder2015.pdf)
10 **The Destructive Insects and Pests Act, 1914** (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2354/1/A1914-02.pdf)
11 Export Restrictions-DGFT (https://customsandforeigntrade.com/Find Export Policy.pdf)
12 **The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992** (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1947/3/A1992-22.pdf).

2. नीम आधारित उत्पादों के पंजीकरण/अनुज्ञापन धारकों के लिए मार्गदर्शन

2.1 नीम आधारित कीटनाशकों के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन

भारत में बेचे/उपयोग किए जाने वाले सभी नीम-आधारित कीटनाशकों को CIB&RC, कृषि मंत्रालय, सहकारिता और किसान कल्याण, भारत सरकार के पास, भारत सरकार, **कीटनाशी अधिनियम, 1968** और **कीटनाशी क नियम, 1971** के प्रावधानों के अनुसार, पंजीकृत होना चाहिए। । यह अनिवार्य पंजीकरण भारत में नीम आधारित कीटनाशकों के निर्माताओं के साथ-साथ नीम आधारित कीटनाशकों के निर्यातकों के लिए भी लागू है। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग आवेदनपत्र का उपयोग करके आवेदन करना होगा। उत्पादकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, उन्हें नीम आधारित कीटनाशकों का पंजीकरण धारक माना जाएगा और वे अपने उत्पादों को उनके संबंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट तरीके से बाज़ार में ला पाएगें।

वर्तमान में, नीम आधारित कीटनाशकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए नीम आधारित उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि, पंजीकरण धारक, अपने उत्पादों को खुदरा बाजार में बेच सकते हैं। वेक्टर नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों को, केवल उपरोक्त उद्देश्य के लिए बेचा जाना चाहिए। पंजीकरण धारकों को नीम आधारित उत्पादों को बेचने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या जहां वे ऐसा करने का इरादा रखते हैं, उन संबंधित राज्यों में वितरित करने के लिए अनुज्ञापन (लाइसेंस) लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

> निर्यात उद्देश्यों के मामले में, उत्पादक डब्ल्यूएचओ और खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा दिए गए घरेलू कीटनाशकों के प्रबंधन पर मार्गदर्शन का संदर्भ ले सकते हैं।

2.2 नीम आधारित दवाओं के अनुज्ञापन धारकों के लिए मार्गदर्शन

सभी नीम-आधारित मच्छर भगाने वाले और अन्य नीम-आधारित उत्पाद, जो दवाओं की श्रेणी में आते हैं, **औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** द्वारा विनियमित होते हैं। ऐसे उत्पादों के लिए, उत्पादकों को आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री के लिए अनुज्ञापन के लिए, एएसयू दवाओं के लिए जहां उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी वहां संबंधित राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण में आवेदन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण अनुज्ञापन के अलावा, उत्पादकों को अच्छे विनिर्माण अभ्यास (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस)(GMP) और आयुर्वेदिक औषधकोश में निर्धारित, मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है।

DO NOT PRINT

3. नीम आधारित उत्पादों के उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NVBDCP) के अंतर्गत, नीम आधारित उत्पादों की अनुसंशा नहीं की जाती है, लेकिन खुले खुदरा बाजार में उपलब्ध हैं। इसलिए, उपयोगकर्ता आम जनता/उपभोक्ता हैं, जिन्हें इन उत्पादों का उपयोग करने के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

वेक्टर नियंत्रण के लिए, किसी भी उत्पाद के विषय में, उपयोगकर्ताओं को इन उत्पादों का उपयोग करते समय निम्नलिखित पर विचार करना आवश्यक है:

- उन्हें उपयोग के लिए निर्देशों, उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और उत्पाद की उपयुक्तता को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को, उत्पाद के कुछ उपयोगों से बचना चाहिए यदि निर्माता ने उत्पाद पर इसका उल्लेख किया है उदाहरण के तौर पर, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मामले में, त्वचा पर किसी भी चीरे या घाव पर क्रीम लगाने से बचें।
- उत्पादों का उपयोग उनके प्रायोजित उपयोग के लिए ही किया जाना चाहिए। मच्छर भगाने वाले उत्पादों को किसी बीमारी या बीमारी का निदान, रोकथाम, इलाज या उपचार करना नहीं है। इसलिए, निर्माताओं को इन उत्पादों का उपयोग करने के तरीके के बारे में उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए, आवश्यक जानकारी/पत्रक प्रदान करना चाहिए।
- उपयोगकर्ताओं को यह भी अवगत कराया जाना चाहिए कि, यदि उत्पाद बाहरी उपयोग के लिए है जैसे कि रूम स्प्रे; तो इसे शरीर पर प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए
- उपयोगकर्ताओं को, लेबल पर उल्लिखित भंडारण शर्तों के अनुसार, उत्पादों को संचयन करना चाहिए।
- उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, वे जिन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं वे नियामक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित हैं और उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं।
- उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की समाप्ति तिथि की भी जांच करनी चाहिए और यदि उत्पाद की समाप्ति तिथि बीत चुकी है तो उत्पाद का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- नीम आधारित कीटनाशकों सहित किसी भी घरेलू कीटनाशक का प्रयोग हमेशा, लेबल के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। कीटनाशक लगाने से पहले, उपयोगकर्ता को, लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, या यदि उपयोगकर्ता इसे पढ़ने में और उपचार का अनुशंसित समय अंतराल, अनुशंसित खुराक और प्रयोग विधि, अनुशंसित उपचार संख्या एक से अधिक है, और वह उसको निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उन्हें किसी और से, इसे स्पष्ट रुप से पढ़वाना चाहिए।
- कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, या उपयोगकर्ताओं को अनुशंसित खुराक से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए।
- उपयोग किए गए कीटनाशक कंटेनर और अप्रयुक्त या समाप्त हो चुके कीटनाशक खतरनाक अपशिष्ट हैं और उन्हें लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार त्याग दिया जाना चाहिए।
- उपयोगकर्ताओं को **ठोस (घन) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अनुसार उपयोग किए गए डिब्बे/थैली (पाउच) का निपटान करना चाहिए।

DO NOT PRINT

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I: भारत में नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण स्वीकृतियां/मंजूरी की सूची

आवश्यक स्वीकृतियां/मंजूरी	जिस विभाग से संपर्क और परामर्श किया जाना है
व्यापार/व्यवसाय पंजीकरण	
कंपनी का निगमन	कंपनी के पंजीयक
राज्य में एक इकाई शुरू करना/पंजीकरण करना	
पंजीकरण/आईईएम/औद्योगिक अनुज्ञापन(लाइसेंस)	लघु उद्योग के लिए जिला उद्योग केंद्र (SSI) / बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA)
वित्त/ पूंजी लगाना	i. सावधि ऋण के लिए राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम ii. 1.5 करोड(15 मिलियन) रुपये से अधिक के ऋण के लिए, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (ICICI), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) आदि।
प्रवर्तन में लाने के पुर्व के चरण	
भूमि अधिग्रहण	राज्य उद्योग निदेशालय (डीआई)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC)/अवसंरचना निगम/लघु उद्योग विकास निगम (SSIDC)
भूमि उपयोग की अनुमति (यदि उद्योग किसी औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है)	राज्य डीआई/स्थानीय प्राधिकारी/जिला कलेक्टर
उत्थापक(लिफ्ट) और एस्केलेटर(चलती सिढी) के लिए स्वीकृति	राज्य स्थानीय प्राधिकरण
भवन योजना अनुमोदन	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय
पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरी	परियोजना श्रेणी के आधार पर, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) या एमओईएफसीसी, भारत सरकार
जल और वायु अधिनियम के तहत स्थापना (एनओसी) की सहमति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल(बोर्ड)
फैक्टरी रूपरेखा योजना अनुमोदन	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
अनंतिम आग अनुमोदन	राज्य अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग
भठ्ठी(बॉयलरों) का पंजीकरण	राज्य बॉयलर विभाग
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू), 1996 के अंतर्गत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
प्रवर्तन में लाने के पश्चात के चरण	
खतरनाक अपशिष्ट के लिए प्राधिकरण	खतरनाक अपशिष्ट संग्रहण/ग्रहण/उपचार/परिवहन/भंडारण और निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (बोर्ड) को आवेदन
भवन पूर्णता प्रमाणपत्र	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय नोडल प्राधिकरण

DO NOT PRINT

आवश्यक स्वीकृतियां/मंजूरी	जिस विभाग से संपर्क और परामर्श किया जाना है
अंतिम आग अनुमोदन	राज्य अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण और सीमा शुल्क	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल(बोर्ड)
बिजली	राज्य विद्त वितरण कंपनी
दुकान और स्थापना अधिनियम	राज्य श्रम विभाग
जल जोड़ (कनेक्शन)	एसआईडीसी/राज्य औद्योगिक संवर्धन मंडल(बोर्ड)/सिंचाई विभाग/केंद्रीय भूजल आयोग
कर्मचारी पंजीकरण	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
जीएसटी पंजीकरण	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल जीएसटी सेवा केंद्र
आयातक निर्यातक कोड	विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यावसायिक कर पंजीकरण	राज्य कर विभाग
ट्रेडमार्क/ब्रांड पंजीकरण	पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय
संचालन के लिए सहमति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अनुलग्नक II: केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के संपर्क विवरण

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति
पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
वेबसाइट: http://ppqs.gov.in/

सम्पर्क सूत्र
सचिव CIB&RC
दूरभाष: +91-129 2413002/+91-129 2476210
ई-मेल: cibsecy@nic.in

अनुलग्नक III:

पंजीकरण आवेदन जमा करने के पश्चात, कीटनाशकों के पंजीकरण की समय सीमा (कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अनुसार)

आम तौर पर, आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया में 12 से 18 महीने (डेटा की कमी के आधार पर, यदि कोई हो) लगते हैं।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) में कहा गया है,

किसी कीटनाशक के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर, समिति ऐसी जांच के बाद जो वह ठीक समझे और स्वयं कि संतुष्टी के पश्चात, जिस कीटनाशक के लिए आवेदन किया गया हो वह, आयातक या निर्माता द्वारा किए गए दावों के अनुरूप है, कीटनाशक

DO NOT PRINT

की प्रभावकारिता तथा मनुष्यों एवं जानवरों के लिए इसकी सुरक्षा के संबंध में, पंजियक 3 [ऐसी शर्तों पर जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं] और निर्धारित फीस के भुगतान पर, कीटनाशक के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवंटीत करेगा:

बशर्ते कि समिति, यदि उपरोक्त अवधि के भीतर अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो अवधि को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा समय के लिए आगे नही बढा सकती।

अनुलग्नक IV: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संपर्क विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो
कमरा नं. 560, मानकालय
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110002
वेबसाइट: www.bis.gov.in

दूरभाष: +91-11-23230131
ईमेल: info@bis.gov.in

अनुलग्नक V: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की संपर्क विवरणी

आयुष मंत्रालय
आयुष भवन, बी ब्लॉक,
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023
www.ayush.gov.in

वेब सूचना प्रबंधक
संपर्क नंबर - 1800-11-22-02 (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक) (आईएसटी)
ईमेल: webmanager-ayush@gov.in

अनुलग्नक VI: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का संपर्क विवरण

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार
एफडीए भवन, आईटीओ, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002
www.cdsco.gov.in

दूरभाष: +91-11-23236973
प्रो टोल फ्री नंबर 1800 11 1454
ईमेल: dci@nic.in

DO NOT PRINT

अनुलग्नक VII: भारतीय औषधकोश आयोग की संपर्क विवरणी

भारतीय औषधकोश आयोग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
सेक्टर-23, राज नगर, गाजियाबाद-201002
www.ipc.gov.in

कार्यालय सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक
दूरभाष: 0120-2783400, 2783401, 2783392, फैक्स: 0120-2783311
ईमेल: lab.ipc@gov.in

अनुलग्नक VIII: भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए औषधकोश आयोग (PCIM&H) के संपर्क विवरण

भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए औषधकोश आयोग
कमला नेहरू नगर, पोस्ट-कवि नगर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002
www.pcimh.gov.in

दूरभाष: +91-120-2787014
ई-मेल: dir.pcimh-ayush@gov.in

अनुलग्नक IX: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का संपर्क विवरण

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
वी. रामलिंगास्वामी भवन, पी.ओ. बॉक्स नंबर 4911
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029, भारत
www.icmr.gov.in

दूरभाष: +91-11-26588895/+91-11-26588980, +91-11-26589794/+91-11-26589336, +91-11-26588707
फैक्स: +91-11-26588662
ईमेल: icmrhqds@sansad.nic.in

DO NOT PRINT

संसाधन

1. List of approvals and clearances required for new projects in India provided by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). https://dipp.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]
2. Steps involved in the regulatory process for establishing a production unit in India are available on the following websites
   https://www.investindia.gov.in/ [Last Accessed: 10 May 2022]
   https://dipp.gov.in/ [Last Accessed: 10 May 2022]
3. Guidelines for minimum infrastructure facilities to be created by the manufacturers of botanical pesticides to meet the requirements for the issue of license by the respective state governments. http://ppqs.gov.in/sites/default/files/c2.32011.doc [Last Accessed: 10 May 2022]
4. Guidelines/data requirements for registration of neem-based products containing Azadirachtin to be used as household insecticides
   http://ppqs.gov.in/sites/default/files/2.2.22011.doc [Last Accessed: 10 May 2022]
5. (Example) Regulatory requirements for establishing a pesticide manufacturing facility in the State of Maharashtra
   https://maitri.mahaonline.gov.in/ [Last Accessed: 10 May 2022]
6. Guidelines for Endorsement of Additional Manufacturing Site http://ppqs.gov.in/sites/default/files/4.22012.doc [Last Accessed: 15 July 2022]
7. General guidelines for registration of insecticides under the Insecticides Act, 1968 are given on the website
   http://ppqs.gov.in/divisions/central-insecticides-board-registration-ommittee/registration-procedure [Last Accessed: 10 May 2022]
8. Guidelines for the registration of all insecticides under Section 9(4) on the PPQS website
   http://ppqs.gov.in/sites/default/files/1.32011.doc [Last Accessed: 10 May 2022]
9. Checklist for registration of insecticides under Sections 9(3) and 9(4)
   http://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/checklist [Last Accessed: 10 May 2022]
10. Good labelling practices for pesticides recommended by World Health Organization (WHO)
    https://www.who.int/publications/i/item/9789241509688 [Last Accessed: 10 May 2022]
11. Insecticides (Price, Stock Display and Submission of Reports) Order, 1986 https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_23_31_00001_196846_1517807318487&type=notification&filename=28_january_1986_g.s.r._71(e).pdf [Last Accessed: 15 July 2022]
12. **Essential Commodities Act, 1955**
    https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1955-10.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]
13. Indian Standards (IS) published by Bureau of Indian Standards (BIS)
    (Search Indian Standard by IS number equal to neem)
    (https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/)

DO NOT PRINT

14. **Insecticide Rules, 1971**
http://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

15. Quality Standards of Indian Medicinal Plants-Volume XI
https://mpd.icmr.org.in/qs11.php [Last Accessed: 01 July 2022]

16. **Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules, 1945**
https://cdsco.gov.in/opencms/export/sites/CDSCO_WEB/Pdf-documents/acts_rules/2016DrugsandCosmeticsAct1940Rules1945.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

17. General Guidelines for Drug Development Of Ayurvedic Formulations
https://www.ayush.gov.in/docs/guideline-drug-development.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

18. Guidelines for efficacy testing of mosquito repellents for human skin by WHO
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HTM-NTD-WHOPES-2009.4 [Last Accessed: 10 May 2022]

19. Guidance on the management of household pesticides given by WHO and FAO
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337126/9789240011915-eng.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

20. **Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976** https://forest.uk.gov.in/uploads/general_rules/1616585726.pdf

21. **Tamil Nadu Warehouses Act, 1951** https://lawsofindia.blinkvisa.com/pdf/tamil_nadu/1951/1951TN15.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]

22. **Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1987** https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13245/1/act-27-1987_final_marketing.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]

23. Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 https://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/pqorder2015.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]

24. **The Destructive Insects and Pests Act, 1914** https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2354/1/A1914-02.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]

25. Export Restrictions-DGFT https://customsandforeigntrade.com/Find%20Export%20Policy.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]

26. **The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992** https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1947/3/A1992-22.pdf [Last Accessed: 15 July 2022]

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT